<u>प्रकरण संख्या 1/2018 (मु.) कुरिया बनाम हामेग</u>

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.08.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 राजस्थान कोलोनाईजेशन (माही प्रोजेक्ट राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1984 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन अधिकारी बागौदौरा द्वारा ग्राम पिण्डारमा की आराजी नंबर 453 रकबा 14 बीघा में से 7 बिस्वा, आराजी नंबर 478 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा में से 17 बिस्वा एवं आराजी नंबर 476 रकबा 10 बीघा में से 6 बिस्वा कुल 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया है, जबकि आवंटी के नाम सर्वे नंबर 779 रकबा 0.05 हैक्टर व सर्वे नंबर 785 रकबा 0.14 कुल किता 2 रकबा 0.19 हैक्टर भूमि दर्ज है। इसलिए विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन गैर कानूनी है। आवंटित भूमि विपक्षी संख्या 1 का कब्जा नहीं है, अपितु प्रार्थी का अपने पूर्वजों के समय से लगभग 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। आवंटन पूर्व किसी प्रकार की उद्घोषणा जारी नहीं की गयी है तथा आवंटन नियमों की पालना सलाहकार समिति द्वारा नहीं की गयी है। अतः विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 04–07–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20.04.2018 को पे I की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को सम्मन नोटिस जारी कर तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की उनकी ओर से वकील श्री राकेश पाटीदार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण दिनांक 04.07.2017 को निर्णित होने के बाद प्रकरण लोक अदालत में रहने से तथा अपील बीमार रहने व मजूदरी हेतु बाहर जाने से अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। दिनांक 23.03.2018 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क करने पर नकल दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त होने से उक्त निर्णय की जा[illegible]ई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि [illegible] मियाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या 1/2018 (मु.) कुरिया बनाम हामेग

अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टि न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया तथा बताया कि प्रकरण जवाब में नियत होने के बावजूद बिना जवाब लिए एवं बिना राजीनामे के तथा बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रकरण गुणावगुण निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.01.2017 अनुसार प्रकरण जवाब हेतु दिनांक 15.02.2017 के लिए नियत था, किन्तु बिना किसी प्रकार का जवाब लिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा बिना किसी राजीनामे के प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.07.2017 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में जवाब प्राप्त कर एवं उभयपक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर एवं सुनकर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:05:43 IST
Reason: SelfAttested

(अनीता मीना)
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर